R. 4225-II/12

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

GT. Rs. 20/-

रामकृपाल कोरी तनय श्री समोधी कोरी, निवासी ग्राम लेडुआ, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0) ....*निगरानीकर्ता*

762
20-11-12

बनाम

1. शांती पत्नी रामदुलारे कोरी, उम्र– 69 साल
2. सम्पति कोरी तनय रामदुलारे कोरी,

दोनों निवासी ग्राम– लेंडुआ, ग्राम पंचायत गोरगांव 165, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0) ....*गैर निगरानीकर्ता*

अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र दुबे द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 20-11-12

20/11/12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) राजस्व प्रकरण क0 178/अपील/08–09 आदेश दिनांक 07.11.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

क० 10-12-12

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि नं0 26 रकवा 0.18 ए0 एवं भूमि नं0 30 रक़वा 0.10 ए0 स्थित ग्राम लेडुआ, ज0नं0 573, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0) निगरानीकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसको वह अपने पिता समोधी कोरी से खउहईनामा दिनांक 29.03.84 के आधार पर प्राप्त किया था, जिसका एकमात्र स्वत्व, आधिपत्यधारी निगरानीकर्ता के रहते हुये ग्राम पंचायत गोरगांव–165 द्वारा प्रस्ताव क0–6 आदेश दिनांक 17.07.2000 के माध्यम से बंटवारा आदेश पारित कर उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा निगरानीकर्ता व 1/2 हिस्सा गैरनिगरानी कर्तागण के पक्ष में कर दिया। जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 के न्यायालय में करने पर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 द्वारा प्र0क0 98/अ–6/03–04 आदेश दिनांक 15.01.09 के माध्यम से ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 17.07.2000 को निरस्त कर दिया जिसकी

R-4225-II/12 शिवा

24/10/16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में उपस्थित होने के लिए पुकारा. पुकारकर आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

सदस्य